क्रमांक एफ ( )एफसीए/उवसं/2016–17/ 222 दिनांकः– 6.1.17

निमित्त,

अधिशाषी अभियंता,
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
सिटी डिवीजन–V, अजमेर।

विषयः– डायवर्जन ऑफ 0.0578 हैक्टर फोरेस्ट लैण्ड फोर लेईग ऑफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिंग डिपार्टमेंट, सिटी डिविजन–I फोर कन्स्ट्रक्शन ऑफ जिन्दा चिल्ला मदार वॉटर सप्लाई (लेईग ऑफ वॉटर सप्लाई लाईन) इन अजमेर राजस्थान।

संदर्भः– राजस्थान सरकार वन विभाग जयपुर का पत्रांक प.1(49)वन/2016 दि.29.12.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि सन्दर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्नक) द्वारा शर्ताधीन स्वीकृति जारी की गयी हैं। अतः पत्र में उल्लेखित शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट एवं शर्त संख्या 11 के क्रम में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र भी भिजवावें तथा मांग पत्र अनुसार राशि अविलम्ब जमा करावें ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

| क्र.सं. | राज्य सरकार वन विभाग द्वारा दि.29.12.2016 को जारी स्वीकृति की शर्त | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि | वि.वि. |
|---|---|---|---|
| 1 | शर्त संख्या 9 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 0 से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWCP (Online Submission and Monitoring of Forest & Wild File Clearence Portal) द्वारा सृजित ई–चालान से जमा की जायेगी। | 105000.00 | राशि रू. 141183/– को OSMFWCP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा कराई जावे। |
| 2 | शर्त संख्या 10 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202/1995 के अंतर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफसी दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12–2/2010–कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWCP द्वारा सृजित ई–चालान से जमा की जायेगी। जिसके उपरान्त ई–चालान की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाये। तदुपरान्त विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। | 36183.00 | |
| | **क्र.सं. 1 व 2 का योग** | **141183.00** | |

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय चित्तौड़ा)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :–सम/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।

उप वन संरक्षक
अजमेर